रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-05072022-237061
CG-DL-W-05072022-237061

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 23] नई दिल्ली, जून 26— जुलाई 2, 2022, शनिवार/आषाढ़ 5—आषाढ़ 11, 1944
No. 23] NEW DELHI, JUNE 26—JULY 2, 2022, SATURDAY/ASADHA 5—ASADHA 11, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

**भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)**
**PART II—Section 3—Sub-section (i)**

**भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)**

**General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)**

## गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 जून, 2022

**सा.का.नि. 86.—** राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (वर्ग-III) भर्ती नियम, 1975 को जहां तक उनका संबंद्ध अवर श्रेणी लिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का बोध किया गया है गृह मंत्रालय के पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः —

नई दिल्ली, 21 जून, 2022

**सा.का.नि. 89**.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलपट्टु (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1988 को जहां तक उनका संबंध मिक्सि मैन के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलपट्टु, के मिक्सि मैन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान चिंगलपट्टु, मिक्सि मैन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे।

**2. पद-संख्या**, **वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

**3. भर्ती की पद्धति**, **आयु-सीमा**, **अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता -** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| मिक्सि मैन | 01* (2022)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय । | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63,200 रु.)। |

| चयन पद है या अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं |
|---|---|---|
| (5) | (6) | (7) |
| लागू नहीं होता | 18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1 :-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अदंमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2:-** ऐसे पदों के संबंध में जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है, प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। | किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/व्यवसायिक व्यापार में प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद का मशीनमिस्त्री का प्रमाण पत्र (राष्ट्रीय शिशु प्रमाणपत्र के साथ) और मशीनमिस्त्री के रुप में रबड़ उद्योग में तीन वर्ष अनुभव। **टिप्पण 1 :-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :-** अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है। |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | **भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। | सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा। | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना। | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परार्मश किया जाएगा। |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| **प्रतिनियुक्ति:-**<br><br>वेतन मैट्रिक्स-2 (19000-63200 रु.) में नियमित आधार पर किसी केन्द्रीय सरकारी संस्था में सदृश पद धारण किए हुए हो के साथ स्तंभ-7 में उल्लिखित अर्हता हो और मशीन मिस्त्री के रुप में रबड़ उद्योग में दो वर्ष का अनुभव; या<br><br>स्तम्भ 7 में अर्हता के साथ वेतन मैट्रिक्स स्तर-1 (18000-56900 रु) में नियमित आधार पर किसी केन्द्रीय सरकारी संस्थान से सदृश पद धारण किए हुए हो के साथ स्तंभ (7) की अर्हताएं हों और क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव हो।<br><br>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नही होगी।) | **समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:-**<br>1. अपर निदेशक केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान चिंगलपट्टु - अध्यक्ष<br>2. उपनिदेशक (आर्थो) केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान चिंगलपट्टु - सदस्य<br>3. सहायक निदेशक (शल्यक) केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान चिंगलपट्टु - सदस्य<br>4. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान चिंगलपट्टु - सदस्य। | लागू नहीं होता। |

[फा. सं. ए-12018/30/2019-कुष्ठ]

शोरन सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 21st June, 2022

**G.S.R. 89.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1988, in so far as they relate to the post of Mixing Man, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Mixing Man, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely:-

**1. Short title and commencement.** -(1) These rules may be called the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Mixing Man, (Group 'C' Post), Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification, level in pay matrix. -** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualification. -** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post | Number of post | Classification | Level in pay matrix | Whether selection post or non-selection post |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Mixing Man. | 01*(2022)<br><br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Level–2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix. | Not applicable |

| Age- limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees |
|---|---|---|
| (6) | (7) | (8) |
| Between 18 and 27 years.<br><br>(relaxable up to 40 years in the case of departmental candidates in accordance with instructions or orders issued by Central Government)<br><br>**Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from the candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, the Union Territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). | $10^{th}$ Standard pass from a recognised board. Industrial Training Institute /National Council for Training in the Vocational Trade Certificate of Machinist (along with National Apprentice Certificate) from a Government recognised Institute and three years experience in the rubber industry as a Machinist.<br><br>**Note: 1.** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified.<br><br>**Note: 2**. The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill the vacancies reserved for them. | Not applicable |

| | | |
|---|---|---|
| **Note 2 :** In respect of posts, the appointment to which are made through the employment exchange the crucial date for determining the age limit shall, in each, case be the last date up to which the employment exchange are asked to submit the names. | | |

| Period of probation, if any | Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made. |
|---|---|---|
| (9) | (10) | (11) |
| Two years for direct recruits. | Direct recruitment failing which by deputation | Deputation: holding analogous posts in any Central Government Institute on regular basis in level -2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix with the qualification mentioned in the column (7) and 2 years experience in a Rubber Industry as a Machinist.<br>**or**<br>holding analogous posts in any Central Government Institute on regular basis in level -1 (Rs.18000-56900) in the pay matrix with the qualification in the column (7) and 5 years experience in the field. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by transfer shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications). |

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of-**<br>1. Additional Director, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu – Chairman<br>2. Deputy Director(Ortho), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu -Member<br>3. Assistant Director(Surgical), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member<br>4. Administrative Officer, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu – Member. | Not applicable. |

[F. No. A-12018/30/2019-Lep]

SHORAN SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 जून, 2022

**सा. का. नि. 90.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान (समूह 'घ' पद) भर्ती नियमावली, 1978 को, जहां तक इसका संबंध रसोइया के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में रसोइया के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रांरभ – (1)** इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, रसोइया, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

**2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ **(2)** से **(4)** में विनिर्दिष्ट है ।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ **(5)** से **(13)** में विनिर्दिष्ट है ।

**4. निरर्हता-** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

**5. शिथिल करने की शक्ति -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

**6. व्यावृति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स का स्तर | चयन या अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रसोइया | 05*(2022)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1, (18,000-56,900/- रु. | लागू नहीं होता। | 18 से 25 वर्ष के बीच*<br><br>*अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भरे जाने वाले पद की दशा में यह 18 से 27 वर्ष के बीच होगा।<br>(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बंधित अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके पैंतालीस वर्ष तक की जा सकती है)। **टिप्पण 1:-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। **टिप्पण 2:-** रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है । |

| **सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं** | **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं** | **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो** |
|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) |
| **आवश्यक अर्हताएँ**<br>1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण ।<br>2. सरकार से किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से केटरिंग कोर्स (न्यूनतम एक वर्ष) सफलतापूर्वक पूरा किया हो ।<br>3. संबंधित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।<br>**टिप्पण 1:-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।<br>**टिप्पण 2:-** अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । | लागू नहीं होता | दो वर्ष ।<br>**टिप्पण:** केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विहित परीवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण लेना होगा । |

| **भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | **प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।** | **यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना** | **भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा** |
|---|---|---|---|
| (10) | (11) | (12) | (13) |
| सीधी भर्ती द्वारा<br><br>**टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी :-<br><br>(क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हों;<br><br>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। | लागू नहीं होता | **समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:**<br><br>1. अपर निदेशक (क्लीनिकल), केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - अध्यक्ष<br><br>2. सहायक निदेशक (शल्य चिकित्सा), केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य<br><br>3. सहायक नर्सिंग अधीक्षक, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य<br><br>4. उस क्षेत्र में राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय से एक राजपत्रित अधिकारी - सदस्य। | लागू नहीं होता। |

[फा. सं.ए-12018/11/2020-कुष्ठ]

शोरन सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd June, 2022

**G.S.R. 90.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the General Leprosy Training Research Institute (Group D Posts) Recruitment Rules, 1978, in so far as it relates to the post of Cook, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Cook in the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely:-

**1. Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Cook (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and level in pay matrix. -** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualification. -** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post | Number of post | Classification | Level in pay matrix | Whether selection post or non-selection post |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Cook | 5* (2022)<br><br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C',<br>Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Level- 1 in the pay matrix (Rs.18000-56900). | Not applicable |

| Age-limit for direct recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruits. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any. |
|---|---|---|---|
| (6) | (7) | (8) | (9) |
| Between 18 and 25 years of age.<br><br>* In case of post being filled up by All India Open Competition, it would be between 18 years and 27 years.<br><br>(Relaxable for departmental candidates upto forty years in case of general candidates and forty-five | Essential qualifications:<br><br>1. $10^{th}$ class pass from a recognised Board.<br><br>2. Should have successfully completed the Catering Course (minimum one year) from a Government recognised Institute.<br><br>3. One year experience in the relevant field.<br><br>**Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the | Not applicable | Two years.<br><br>**Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by |

| | | | |
|---|---|---|---|
| years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).<br><br>**Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.<br><br>**Note 2:** In the case of recruitment made through the employment exchange, the crucial date of determining the age-limit shall be the last date up to which employment exchange is asked to submit the names. | competent authority in case of the candidates otherwise well qualified.<br><br>**Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. | | the Central Government. |

| Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made. | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|
| (10) | (11) | (12) | (13) |
| By direct recruitment.<br><br>**Note :** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government.- | Not applicable | **Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of-**<br><br>1. Additional Director (Clinical), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu – Chairman<br>2. Assistant Director (Surgical), Central Leprosy Teaching | No Applicable. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and<br><br>(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). | | and Research Institute, Chengalpattu - Member<br><br>3. Assistant Nursing Superintendent, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member<br><br>4. A Gazetted Officer from another State Government or the Central Government Office in the area - Member. | |

[F. No . A-12018/11/2020-Lep]

SHORAN SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 जून 2022

**सा.का.नि. 91**.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अखिल भारतीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 1990 को, जहां तक उनका संबंध कर्मशाला सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता, में कर्मशाला सहयक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रांरभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता, कर्मशाला सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि –** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता – ऐसा व्यक्ति –**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।